पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 02, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–47

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	547–560	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	471–481	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	487–492	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–02

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 4184 / 13/XX-1/03(22)2013–युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिभाषित करते हैं, जिसमें दिनांक 01–07–2013 से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 30–06–2018 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि में खुले क्षेत्र में नियतकालिक गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:–

क्षेत्र का विवरण:

जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा (प्लॉट) नाम क्षेत्रफल
पिथौरागढ़	डीडीहाट	हाटथर्प	खेत संख्या 2505 मध्ये 7 नाली खेत संख्या 2506 मध्ये 8 मुट्ठी खेत संख्या 2528 मध्ये 5 नाली खेत संख्या 2529 मध्ये 1 नाली खेत संख्या 2567 मध्ये 7 नाली खेत संख्या 2628 मध्ये 4 नाली

टिप्पणी: उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साइट प्लान) पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 4184/13/XX-2/03(22)2013,** dated October 07, 2013 for general information.

NOTIFICATION

October 07, 2013

No. 4184/13/XX-2/03(22)2013– In exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act No. V of 1938), the Governor is pleased to define the area specified below as the area within which the carrying out periodically of field firing and artillery practice may be authorised for a period of five years commencing on July 01, 2013 and ending with June 30, 2018.

Details of the Area:

Name of District	Tehsil	Village	Name, Area of the Plot
Pithoragarh	Didihat	Hattharp	Under Field 2505 7 Nali
			Under Field 2506 8 Mutthi
			Under Field 2528 5 Nali
			Under Field 2529 1 Nali
			Under Field 2567 7 Nali
			Under Field 2628 4 Nali

Note: A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Pithoragarh.

By Order

OM PRAKASH,
Principal Secretary.

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / नियुक्ति

17 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 1739 / XXX-1-13-12(56)/2001–भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष, 2009 बैच के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 6(ए) के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान ₹ 15,600–39100+ग्रेड पे ₹ 6,600 में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. डॉ राघव लंगर, आई0ए0एस0।
2. श्री सविन बंसल, आई0ए0एस0।
3. श्री सी0 रविशंकर, आई0ए0एस0।
4. श्रीमती ज्योति नीरंज खरवाल, आई0ए0एस0।

आज्ञा से,

डॉ0 एस0 एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / स्थायीकरण

21 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 2411 / XX(1)-2013-3(6)2010–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009" के नियम–25 के अन्तर्गत निम्नलिखित सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रान्तीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड में स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 सं0	नाम पुलिस उपाधीक्षक सर्वश्री	स्थायीकरण किये जाने की तिथि
1.	स्वतंत्र कुमार सिंह	11–08–2011
2.	मनोज कुमार कत्याल	11–08–2011
3.	रेनू लोहनी	06–08–2011
4.	उत्तम सिंह नेगी	30–11–2011
5.	स्वप्न किशोर सिंह	19–08–2011
6.	राजेश कुमार भट्ट	13–08–2011
7.	मनीषा जोशी	06–08–2011
8.	राजीव मोहन	07–08–2011
9.	हरबन्स सिंह	11–08–2011
10.	जोध राम जोशी	27–11–2011
11.	लोकजीत सिंह	11–08–2011
12.	चन्द्रमोहन सिंह	19–08–2011
13.	विमल कुमार आचार्य	14–09–2011

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 948/IX/2013/246/2004–श्री राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में श्री देवेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, निवासी मगवानपुर हरिद्वार तथा श्री शरदकान्त पुत्र श्री चन्द्रकान्त, निवासी 162 ए, सोनालीपुरम, रुड़की हरिद्वार को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 948/IX/2013/246/2004,** dated October 14, 2013 for general information.

NOTIFICATION

October 14, 2013

No. 948/IX/2013/246/2004-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No 59 of 1988) read with sub-rule (8) (ii) of rule 56 of the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011, the Governor is pleased to accord sanction to the nomination of Shri Devendra Agarwal S/o Shri Anand Prakash Bhagwanpur, Haridwar and Shri Saradkant S/o Shri Chandra Kant,162 A, Sonalipuram Roorkee, Haridwar as non-official member in the State Transport Authority, Uttarakhand to exercise the powers and discharge the duties conferred by sub-section (3) of Section 68 of the said Act, for a period of two years with effect from the date of issue of this notification.

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 949 / IX/2013/246/2004—श्री राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, 345 विवेक विहार, हरिद्वार तथा श्री रमेश बुटोला पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह बुटोला, 144 / 11 नेशविला रोड, देहरादून को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 949/IX/2013/246/2004,** dated October 14, 2013 for general information.

NOTIFICATION

October 14, 2013

No. 949/IX/2013/246/2004-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No 59 of 1988) read with sub-rule (8) (ii) of rule 57 of the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011, the Governor is pleased to accord sanction to the nomination of Shri Arvind Kumar Sharma S/o Shri Govind Prasad Sharma 345, Vivek Vihar,, Haridwar and Shri Ramesh Butola S/o Late Shri Laxman Singh Butola, 144/11, Nashwila Road, Dehradun as non-official member in the Regional Transport Authority, Dehradun to exercise the powers and discharge the duties conferred by sub-section (3) of Section 68 of the said Act, for a period of two years with effect from the date of issue of this notification.

अधिसूचना

21 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 724/ix/33/2013—श्री राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 118 उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य में निम्नलिखित वर्गों के परिवहन यानों को उनके प्रचालक द्वारा ऐसे स्पीड गवर्नर या स्पीड सीमित करने के कृत्य से जो समय–समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 018/2001 मानक के अनुसार हो, सुसज्जित करने हेतु अधिसूचित करते हैं:–

1. **(क)** राज्य परमिट या राष्ट्रीय परमिट पर प्रचालन कर रहे यान को छोडकर समस्त माल यान जिनका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो;

   (ख) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर प्रचालन कर रहे यान को छोडकर ऐसी मंजिली गाडी, ठेका गाडी, निजी सेवा यान व शिक्षण संस्था बस जिनका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो।

2. उक्त प्रकार के अपंजीकृत वाहनों पर उनके पंजीकरण के समय तथा पंजीकृत वाहनों पर उनके ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करते समय सम्बन्धित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के 15 दिन से निर्धारित मानक के अनुसार स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा।
3. इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण इकाई के माध्यम से स्पीड को नियंत्रित करने वाले स्पीड गवर्नर से भिन्न स्पीड गवर्नर को उत्तराखण्ड परिवहन विभाग की सील से सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।
4. स्पीड गवर्नर से सुसज्जित यान को किसी भी दशा में परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–52/ix/424/2009 दिनांक 30 जनवरी 2009 द्वारा अधिसूचित/निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर नही चलाया जायेगा।
5. स्पीड गवर्नर के विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी एक प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी ए0आई0एस0:018/2001 मानकों को पूरा करने का टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

6. परिवहन आयुक्त को टाईप एप्रूवल हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व परिवहन यान का विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रत्येक मॉडल/बैरिएंट मेक के लिये स्पीड गवर्नर उपलब्ध है, जिसके अभाव में परिवहन आयुक्त उसके टाईप एप्रूवल से लिखित में इन्कार कर सकते है।
7. स्पीड गवर्नर का विनिर्माता या डीलर उसको किसी परिवहन यान में लगाते समय स्पीड गवर्नर पर यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को उभरे या खुदे रूप में अंकित करेगा ताकि उसका उपयोग किसी अन्य परिवहन यान में न हो सके।
8. यदि किसी अवसर पर ऐसा प्रकट हो कि या तो यान विनिर्माता या स्पीड गवर्नर विनिर्माता किसी विशिष्ट मेक के यान या स्पीड गवर्नर का प्रमाण पत्र लेने के इच्छुक नही है तो परिवहन आयुक्त यथास्थिति उस मेक के यान का पंजीकरण रोक देंगे या स्पीड गवर्नर का विनिर्माण निषेध कर देंगे।
9. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबन्धों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा निर्गत टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रकार का स्पीड गवर्नर ही लगाया जायेगा।
10. परिवहन आयुक्त को स्पीड गवर्नर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय विनिर्माता केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अधीन किसी प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी का ए0आई0एस0 मानकः 018/2001 की अपेक्षाओं का पालन करने का प्रमाण पत्र सहित वैट संख्या, होलोग्राम, उत्तराखण्ड में डीलर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करने होंगे। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर द्वारा स्पीड गवर्नर का एक नमूना उसके सत्यापन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्पीड गवर्नर की अनुमति ए0 आई0एस0:018/2001 की विधिमान्यता तक होगी।
11. गुणवत्ता युक्त उत्पाद की आपूर्ति न होना, बिक्री के बाद में सेवा (आफटर सेल सर्विस) की व्यवस्था न होना, छेड़छाड़ की सम्भावना होना, उपयुक्त स्पेयर पार्टस की आपूर्ति न होना, वारंटी न होना, अनुपयुक्त या अनुरक्षण न होना जैसे मुददों को सुनिश्चित करने के उददेश्य से स्पीड गवर्नर विनिर्माता द्वारा परिवहन

आयुक्त के नाम से देहरादून में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक करोड़ रूपये की बैंक गारंटी सहित परफारमेंस एग्रीमेंट प्रस्तुत करना होगा।

12. उपर्युक्त पैरा 10, 11 में वर्णित सूचनायें, परफारमेंस एग्रीमेंट और बैंक गारंटी प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा स्पीड गवर्नर का अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा।

13. स्पीड गवर्नर की न्यूनतम वारंटी अवधि उसकी बिक्री के दिनांक से बारह माह के लिये होगी और स्पीड गवर्नर/उसके स्पेयर पार्टस की उपलब्धता विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर कम्पनी होलोग्राम के साथ संस्थापन प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह की दस तारीख से पहले सम्बन्धित पंजीयन प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

14. प्राधिकृत टेंस्टिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्ट मेक/माडल/बैरियंट के स्पीड गवर्नर का विशिष्ट मेक/माडल/बैरियंट यान में संस्थापन के पश्चात स्पीड गवर्नर को लीड सील द्वारा परिवहन विभाग उत्तराखण्ड की अधिकारिक सील से यथास्थिति सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।

15. स्पीड गवर्नर में कोई मरम्मत का कार्य जिसे सील में छेड़छाड़ किये बिना करना सम्भव न हो, करने के लिये सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से पूर्व में लिखित सहमति ली जायेगी। मरम्मत का अपेक्षित कार्य करने के उपरान्त स्पीड गवर्नर को यान स्वामी द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह समय समय पर यथासंशोधित ए0आई0एस0:018/2001 मानक के अनुरूप हो और उसे सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा अधिकारिक सील द्वारा इस प्रकार सील किया जायेगा कि सील में छेड़छाड़ किये बिना उसे हटाना सम्भव न हो।

16. परिवहन यान का स्वामी या चालक सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की लिखित सहमति के बिना परिवहन विभाग की अधिकारिक सील में छेडछाड नही करेगा। प्रत्येक यान का मरम्मत के प्रत्येक कार्य का पृथक अभिलेख रखा जायेगा जिसे परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों की मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।

17. सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा स्पीड गवर्नर युक्त प्रत्येक यान का अभिलेख रखा जायेगा। जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा प्रतिमाह परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।

18. यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पीड गवर्नर की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य उसके विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्यशाला में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाय।

19. परिवहन यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन करते समय यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पीड गवर्नर में लगायी गयी सील अक्षत है। यदि किसी समय सक्षम प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसकी सील में छेड़छाड़ किया गया है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व यान चालक का होगा और उसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा। इसके साथ ही सक्षम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मामला सम्बन्धित सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को भी सूचित किया जायेगा। कृत्य की गम्भीरता को देखते हुये सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यान के परमिट को रद्द या निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

20. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी सक्षम प्रवर्तन अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये यान विहित गति सीमा से अधिक गति पर चलाया जा रहा है, तो वह चालक या स्वामी को यान को सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक को यान की गतिसीमा मापने हेतु परीक्षण/निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये लिखित निर्देश देगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये उसे निष्प्रभावी बनाने के लिये कोई तकनीकी व्यवस्था की गयी है तो उसे इस अधिसूचना के आशय का उल्लंघन समझा जायेगा और चालक या स्वामी या दोनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।

21. जहॉ सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से स्पीड गवर्नर की मरम्मत करने के अधिकारिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान में जब तक अधिकारिक सील न लगायी जाय तब तक कोई सवारी नही ले जायी जायेगी। बीच की अवधि में चालक द्वारा यान के अगले और पिछले भाग में बोर्ड में लाल रंग से यह प्रदर्शित किया जायेगा कि "यान बिना स्पीड गवर्नर के है"।

22. परिवहन यान के चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान के विंड स्क्रीन के तल में बॉयी ओर सफेद रंग से तीन सेंटीमीटर ऊँचाई व समुचित मोटाई के अक्षरों में यह प्रदर्शित हो कि " ए0आई0एस0:018 मानक के अनुरूप स्पीड गवर्नर लगा है"।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 724/ix/33/2013,** dated October 21, 2013 for general information.

NOTIFICATION

October 21, 2013

No. 724/ix/33/2013-- In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor, hearby notify that the following category of transport vehicles shall be fitted with speed governor (speed limiting device) conforming to the standard AIS:018/2001 as amended from time to time by their operator:--

1. **(a)** All goods vehicles whose gross vehicle weight is more than 3.5 ton except goods vehicles operating on state permit or national permit.

   (b) Such stage carriage, contract carriage, private service vehicle and education institutional bus whose gross vehicle weight is more than 3.5 ton except vehicle operating on all India tourist permit.

2. The concerned Registration authority shall fit the speed governor of specified standard on the aforesaid vehicles with affect from the 15th day from the day of issue of this notification on the unregistered vehicles at the time of their registration and on registered vehicles at the time of renewal of their fitness certificate.

3. The speed governor, other than those which controls the speed of the vehicles by an electronic control unit, shall be sealed with the seal of Transport Department Uttarakhand by the concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector.

4. The vehicle fitted with speed governor shall not be driven over and above the maximum speed limit notified/specified by transport anubhag-1 notification no. 52/ix/424/2009 dated 30 January, 2009.

5. The type approval certificates conforming to AIS:018/2001 standard shall be obtained by manufacturer of the speed governor form anyone of the authorised testing agency specified under rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

6. The manufacturer of the transport vehicle shall ensure that for each model/ variant of their make speed governor is available before the same is produced to the Transport Commissioner for its type approval. In its absence the Transport Commissioner may refused in writing the type approval of the same.

7. The manufacturer or dealer of speed governor while fitting it in transport vehicle shall emboss/engrave the registration mark of the vehicle on the speed governor so that the same could not be used for another transport vehicle.

8. If it appears at any time that either the vehicle manufacturer or the speed governor manufacturer are not willing to get certified their vehicle or speed governor on particular make of the vehicle or speed governor, the Transport Commisioner shall stop the registration of that make of vehicle and may ban the manufacturer of the speed governor as the case may be.

9. The speed governor shall be fitted out of the makes as approved by the Transport Department Uttarakhand on the basis of the type approval certificate issued by testing agencies authorized by Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

10. The manufacturer while submitting the application for approval to the Transport Commissioner shall attach certificate of compliance of AIS:018/2001 standard from any of the authorised testing agency under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 alongwith the documents relating VAT number, hologram, dealer network and service network in Uttarakhand. The manufacturer/authorised dealer shall submit one sample of speed governor along with application for varification. The deparmental approval granted to speed governor will be valid till the validity of AIS:018/2001.

11. In order to ensure supply of quality product, after sale service and issues like tempering, non supply of suitable spare, not having warranty, improper or non maintenance the speed governor manufacturer shall submit the performance agreement alongwith bank guarantee from notified bank worth rupees one crore in the name of Transport Commissioner payable at Dehradun.

12. On the receit of information, performance agreement and bank guarantee stated in para 10 and 11 above the approval shall be issued by the Transport Commissioner.

13. The minimum warranty period of speed governor shall be twelve month from the date of sale and manufacturer would ensure availability of speed governor/spare parts thereof. The manufacturer/authorised dealer would issue installation certificate with company hologram and would submit monthly reports before tenth of every month to the concerned registering authority.

14. After the fitment of perticular make/model/variant of speed governor in perticular make/model/variant of vehicle duly approved by testing agency it shall be sealed at all the sealing points by the official seal of Transport Department Uttarakhand by the Regional Inspector or Assistant Regional Inspector as the case may be.

15. Any repair work of speed governor which leads to tempering of official seal shall be carried out with the prior written permission of the concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). After carrying the desired repair work the speed governor shall again be fitted by owner of such vehicle in such a manner that it conforms to AIS:018/2001 standard as amended from time to time. It shall again be sealed by the official seal by the concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector as the case may be in such a way that it cannot be removed or tempered with without the seal being broken.

16. The owner or driver of the transport vehicle shall not temper with the official seal of the Transport Department without permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). The record of each repair work shall be maintained for each vehicle separately and shall be produced before the competent authorities on demand.

17. The concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector shall maintain records of each vehicle fitted with speed governor and shall send its monthly report to the Transport Commissioner.

18. The driver and owner of the vehicle shall ensure that the repair and maintanance work of the speed governor shall be carried out at the workshop authorised by its manufacturer and by trained personnal.

19. The owner and driver of the transport vehicle while driving it in public place shall ensure that the seal put on the speed governor in his vehicle are in intact. If it is found by the competent enforcement officer at any time that any seal of the speed governor has been tempered with, the entire responsibility of it shall lie on the driver and he shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988. Simultaneously, the competent inforcement officer shall report the matter to the concerned Secretary, Regional Transport Authority who shall intitate the proceedings of cancellation or suspension of the permit of the vehicle as per the gravity of the act.

20. Notwithstanding anything contained in this notification, the competent inforcement officer who has reason to believe that despite the seal of the speed governor found intact, the vehicle is plying at the higher speed than the prescribed speed, he may in writting direct the driver or owner to submit the vehicle for conducting the test/ inspection to concerned Regional Inspector or Assistant Regional Inspector to measure the speed limit. If it is established that despite the seals being intact some technical arrangement has been made to make the speed governor ineffective then it shall be considered the voilation of the spirit of this notification and the driver or the owner or both shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988.

21. Where official permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration) has been obtained to carry out repair work, the driver and the owner shall ensure that no passenger shall be carried on the vehicle till official seal is again applied. During the intervening period the driver shall display a board on front and rare side of the vehicle indicating in red colour that "The vehicle is without speed governor".

22. The driver and owner of the transport vehicle shall ensure that the words,"speed governor conforming to AIS:018/2001 standard is installed" shall be painted on the bottom of the left side of the windscreen in white colour with letters of three centemeter hight of appropriate thickness.

By Order

DR. UMAKANT PANWAR,
Secretary.

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

11 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 186 / 66 / अनुभाग अधिकारी प्रोन्नति / अधि0 / 2009–2010–विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान पे बैन्ड–3 ₹ (15600–39100) + ग्रेड–पे ₹ 5400 में अस्थाई रूप से प्रस्तर 2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है:–

1. श्री सन्तोष कुमार यादव
2. श्री संजीव प्रकाश चतुर्वेदी

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. उपरोक्त कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमानुसार 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

कार्यभार प्रमाणक

03 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 1381 / वि0स0 / अधि0 / 9 / 2000–विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 1374 / वि0स0 / अधि0 / 9 / 2000, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 के अनुपालन में, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर, आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

जगदीश चन्द्र,
अवमोचक अधिकारी।

प्रति हस्ताक्षरित,

(गोविन्द सिंह कुंजवाल),
अध्यक्ष,
विधान सभा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट / 615–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 02, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), टिहरी

कार्यालयादेश

29 मई, 2013 ई0

पत्रांक 122 / कर–पंजी / UP08-5187 / 2013–वाहन संख्या UP08-5187, भार वाहन मॉडल 1998, चेसिस सं0 365352MTQ17762, इंजन सं0 697D28LTQ154819 व पंजीयन तिथि 04–05–1998 है। वाहन मार्ग पर संचालन के योग्य नहीं है। वाहन स्वामी श्री शूरवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह ने इस कार्यालय में वाहन का चेसिस टुकड़ा व वाहन के प्रपत्र समर्पण करते हुए वाहन के पंजीयन चिन्ह को निरस्त करने हेतु आवेदन किया है।

उपरोक्त आवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन मार्ग पर संचालन के योग्य नहीं है तथा वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः, मैं, सुरेन्द्र कुमार, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, नई टिहरी, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UP08-5187, भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 328 / कर–पंजी / UA09-4533 / 2013–वाहन संख्या UA09-4533, मैक्सी कैब मॉडल 2000, चेसिस सं0 421055MZZ401219, इंजन सं0 497SP26LZZ776425 व पंजीयन तिथि 19–01–2001 है। वाहन मार्ग पर संचालन के योग्य नहीं है। वाहन स्वामी श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री बचन लाल, निवासी–ग्राम मिंगवाली, पट्टी लामरीधार, जिला टिहरी गढ़वाल ने इस कार्यालय में वाहन का चेसिस टुकड़ा जमा करते हुए वाहन के पंजीयन चिन्ह को निरस्त करने हेतु आवेदन किया है।

उपरोक्त आवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन मार्ग पर संचालन के योग्य नहीं है तथा वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः, मैं, सुरेन्द्र कुमार, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, नई टिहरी, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UA09-4533, मैक्सी कैब का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
नई टिहरी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

13 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 634 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी04ए–0187 / 2013–वाहन संख्या यूपी04ए–0187 मॉडल 1997 चेसिस संख्या MM540DPAMB2EVDV11593 इंजन संख्या DV11593 इस कार्यालय में सैन्ट मर्या हैल्थ सेन्टर गोरमेन्ट अण्डर टेकिंग बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 08–07–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन कर मुक्त है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04ए–0187 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MM540DPAMB2EVDV11593 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 682 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूए06डी–2523 / 2013–वाहन संख्या यूए06डी–2523 मॉडल 2005 चेसिस संख्या 53480025 इंजन संख्या BC44M37976 इस कार्यालय में श्री रामआसरे पुत्र श्री कन्हया लाल, निवासी ट्रान्जिट कैम्प किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 11–07–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु 22–08–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06डी–2523 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 53480025 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

09 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 716/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06वाई–3700/2013–वाहन संख्या यूके06वाई–3700 मॉडल 2012 चेसिस संख्या MBJB4ZBT900041714-0912 इंजन संख्या 1ND1284307 इस कार्यालय में श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी मदईपुरा, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 23–04–2013 को कामर्शियल टोयटा बरेली रोड हल्द्वानी द्वारा जारी फार्म 21, 22 व इन्वाईस तथा अस्थाई पंजीयन संख्या यूकेडीए–0852 जिसमें एस बी आई रुद्रपुर का एच पी ए दर्ज था, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर वाहन पर पंजीयन संख्या यूके06वाई–3700 प्राप्त किया। दिनांक 30–05–2013 को शाखा प्रबन्धक चोला मण्डलम इनवैस्टमैन्ट एण्ड फाईनेन्स कं0 लि0 द्वारा शिकायत की गयी कि उपरोक्त वाहन की पंजीयन पुस्तिका में चोला मण्डलम के स्थान पर एस बी आई रुद्रपुर का एच पी ए दर्ज है।

उपरोक्त शिकायत के आधार पर अधिकृत डीलर कामर्शियल टोयटा बरेली रोड हल्द्वानी तथा पंजीयन अधिकारी हल्द्वानी को उपरोक्त प्रपत्रों के सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके उत्तर में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन स्वामी द्वारा उनके द्वारा दिये गये प्रपत्रों में छेड़छाड़ करके एच पी ए गलत दर्शाया गया है।

2 बार उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन स्वामी को एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु वाहन स्वामी के दिये गये पते पर पत्र तामिल नहीं हो पाया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वाहन स्वामी द्वारा कूट प्रपत्रों के आधार पर वाहन का पंजीयन कराया गया है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–53 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06वाई–3700 के पंजीयन को तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ।

कार्यालय आदेश

16 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 741/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी22–7595/2013–वाहन संख्या यूपी22–7595 मॉडल 1996 चेसिस संख्या 14EC60338594 इंजन संख्या 4D31A31A60331165 इस कार्यालय में श्री सफीक अहमद पुत्र श्री सरीफ अहमद, निवासी मौहल्ला नई बस्ती, जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 21–05–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22–7595 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14EC60338594 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

24 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 772/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी02डी–0537/2013–वाहन संख्या यूपी02डी–0537 (ट्रक) मॉडल 1987 चेसिस संख्या 364052848869 इंजन संख्या 692D02862499 इस कार्यालय में श्री इशाक खान पुत्र श्री असफाक खान, निवासी म0नं0 66, सिसया सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 01–07–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30–09–2013 तक वैध है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी न करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी02डी–0537 (ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052848869 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 773/टी0आर0/पंजी0नि0/यूए06ई–3291/2013–वाहन संख्या यूए06ई–3291 मॉडल 2005 चेसिस संख्या 5446002106HU इंजन संख्या R5H132972 इस कार्यालय में श्री शशी कान्त पाण्डे पुत्र श्री श्याम नारायण, निवासी जफरपुर अमरपुर गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 19–09–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30–11–2013 तक वैध है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी न करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06ई–3291 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 5446002106HU तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 अगस्त, 2013 ई0/27 सितम्बर, 2013

पत्रांक 778/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी22ए–9016/2013–वाहन संख्या यूपी22ए–9016 (ट्रक) मॉडल 1996 चेसिस संख्या 360324KTQ736494 इंजन संख्या 697D23KTQ818310 इस कार्यालय में श्री दयाशंकर पुत्र श्री पूरन लाल निवासी ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 08–07–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30–09–2013 तक वैध है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी न करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22ए–9016 (ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324KTQ736494 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

30 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 782/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी06–1470/2013–वाहन संख्या यूपी06–1470 मॉडल 1993 चेसिस संख्या 368025H93806056 इंजन संख्या 697SP21H93710020 इस कार्यालय में श्री ब्रहमअवतार सिंह पुत्र श्री शंभूदयाल, निवासी होली चौक, जटवारा, जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26–09–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु 26–09–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी06–1470 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 368025H93806056 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

30 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 783/टी0आर0/पंजी0नि0/यूए01–1212/2013–वाहन संख्या यूए01–1212 मॉडल 1993 चेसिस संख्या 344350432192 इंजन संख्या 692D23449575 इस कार्यालय में श्री सुखवन्त सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह, निवासी गुलजारपुर, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26–09–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु 26–09–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए01–1212 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344350432192 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

30 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 784/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी26–8864/2013–वाहन संख्या यूपी26–8864 मॉडल 1990 चेसिस संख्या 364052898365 इंजन संख्या 692D02939920 इस कार्यालय में श्री जुम्मा खान पुत्र श्री नजीर खान, निवासी विथा अकबर त0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28–09–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट

कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु 25–09–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी26–8864 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052898365 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

03 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 793/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी13एम–9972/2013–वाहन संख्या यूपी13एम–9972 मॉडल 1997 चेसिस संख्या 386030MTQ844913 इंजन संख्या 497D22MTQ840069 इस कार्यालय में श्री साह नवाज कुरेसी पुत्र श्री नासीम कुरेसी, निवासी भदईपुरा किच्छा रोड, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 22–06–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–10–2013 तक जमा है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु 22–06–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी13एम–9972 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386030MTQ844913 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय आदेश

11 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 819/टी0आर0/पंजी0नि0/पीबी02एफ–9498/2013–वाहन संख्या पीबी02एफ–9498 मॉडल 1994 चेसिस संख्या 359350JVQ118963 इंजन संख्या 697D28JVQ125392 इस कार्यालय में श्री जियाउल हक पुत्र श्री मौहम्मद आमिल, निवासी म0नं0 163 गौरी खेड़ा सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 20–09–2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–07–2013 तक जमा है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु 26–07–2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या ,पीबी02एफ–9498 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359350JVQ118963 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

द्वारिका प्रसाद,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

17 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 2395/लाइसेन्स/निल0/निरस्ती0/2013–14–केदार सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी म0नं0 47, ग्राम कलीगाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत को कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या UK-0320110004120 जो कि मोटर साईकिल/हल्का प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 07–01–2011 को जारी किया। उक्त लाइसेन्स में दिनांक 14–03–2012 को भारी व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 13–03–2015 तक है, के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक संख्या वाचक–लाइसेन्स निरस्तीकरण/2013, दिनांक 15 जून, 2013 द्वारा उक्त लाइसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 20–06–2013 को नोटिस प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में लाइसेन्स धारक द्वारा अपना पक्ष दिनांक 01–07–2013 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो संतोषजनक नहीं था, के क्रम में कार्यालय द्वारा पुनः लाइसेन्स धारक को पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 03–07–2013 को स्पष्टीकरण साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में लाइसेन्स धारक दिनांक 15–09–2013 को कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः, मैं, विमल पाण्डे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, टनकपुर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स सं0 UK-0320110004120 को दिनांक 15–07–2013 से दिनांक 14–04–2014 तक (09 माह) हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

विमल पाण्डे,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
मोटर वाहन विभाग,
टनकपुर, (चम्पावत)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

04 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 2553/पंजीयन निरस्त/2013–वाहन संख्या UA03-4411 HGV के वाहन स्वामी श्रीमती अनीता छतवाल पत्नी श्री दीपक छतवाल, निवासी पिथौरागढ़ रोड, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 27–09–2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था संचालन योग्य नहीं था। फलतः दिनांक 26–09–2013 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 26–09–2013 को प्रस्तुत किया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) वाहन संख्या UA03-4411 HGV चैसिस नं0 81VFJ25430 इंजन नं0 B30561SVF के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

04 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 2554 / पंजीयन निरस्त / 2013–वाहन संख्या USZ-4450 HGV के स्वामी श्री जय सिंह पाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद पाल, निवासी घसियारी मण्डी, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 19–08–2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था संचालन योग्य नहीं था। फलतः दिनांक 18–07–2013 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 19–08–2013 को प्रस्तुत किया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) वाहन संख्या USZ-4450 HGV चैसिस नं0 344073724193 इंजन नं0 AUQ702180 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

04 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 2555 / पंजीयन निरस्त / 2013–वाहन संख्या UP29-0435 JEEP TAXI के वाहन स्वामी श्री श्याम सिंह पवार पुत्र श्री खुशाल सिंह पवार, निवासी छतोली, चोमेल, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 24–09–2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था संचालन योग्य नहीं था। फलतः दिनांक 23–09–2013 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 23–09–2013 को प्रस्तुत किया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) वाहन संख्या UP29-0435 JEEP TAXI चैसिस नं0 DX105043 इंजन नं0 DX105043 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

19 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 2570 / पंजीयन निरस्त / 2013–वाहन संख्या UP07G-3320 BUS के वाहन स्वामी मो0 इमरान पुत्र मो0 उसमान, निवासी मस्जिद वार्ड, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 17–10–2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था संचालन योग्य नहीं था। फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 25–09–2013 को प्रस्तुत किया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) वाहन संख्या UP07G-3320 BUS चैसिस नं0 359352MTQ135433 इंजन नं0 697D28MTQ162325 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

विमल पाण्डेय,
पंजीयन अधिकारी,
उप सम्भागीय, परिवहन कार्यालय,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

कार्यालयादेश

15 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्र संख्या 1142/सा0प्रशा0/लाइसेन्स–निरस्तीकरण/2013–14–श्री देवेन्द्र भट्ट पुत्र श्री सुरेन्द्र भट्ट, निवासी ग्राम–काशीरामपुर तल्ला, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल जिसका लाइसेन्स संख्या यूके 1520020008755 है का चालान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन में 10 के सापेक्ष 14 सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 15–07–2013 को किया गया था। चालक को पत्र संख्या 603/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2013 दिनांक 24–07–2013 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनांक 14–10–2013 को अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः लाइसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, आनन्द कुमार जायसवाल, परिवहन कर अधिकारी–प्रथम कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त चालक लाइसेन्स संख्या यूके 1520020008755 को दिनांक 14–10–2013 से दिनांक 13–11–2013 तक एक माह हेतु निलम्बित करता हूँ।

आनन्द कुमार जायसवाल,
परिवहन कर अधिकारी–प्रथम,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी

पदोन्नति आदेश

08 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 2206/2–1–स्था0–90/2013–14–वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0 373/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांक 16–01–2013 एवं शासनादेश सं0 406/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांक 08–02–2013 के अनुक्रम में ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 627/XI/13/53(65)/2004 दिनांक 03–07–2013 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के कार्यालय हेतु लिपिकीय संवर्ग में नवसृजित पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पे बैण्ड–2 ₹ 15600–39100 ग्रेड पे–₹ 5400) पर पदोन्नति हेतु दिनांक 30–09–2013 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री बलवन्त सिंह पुण्डीर को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया है।

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के क्रम में श्री बलवन्त सिंह पुण्डीर की पदोन्नति मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पे बैण्ड–2 ₹ 15600–39100 ग्रेड पे–₹ 5400) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है। श्री पुण्डीर पदोन्नति के पद पर अपना योगदान सुनिश्चित करें।

बी0 पी0 पाण्डेय,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड

कार्यालय आदेश

19 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 2589/लो0का0/2013–एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी, अनुभाग अधिकारी की शासनादेश संख्या–521/XLIII(1)-13-38(12)/02 दिनांक 15–07–2013 द्वारा सृजित वेतन बैण्ड–₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

कार्यालय आदेश

30 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 2759/लो0का0/2013–एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मो0 फारूख आजम, समीक्षा अधिकारी की वेतन बैण्ड–₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन–₹ 4800 में अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति की जाती है। प्रोन्नत कार्मिक की प्रोन्नतीय पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी।

एम0 एम0 घिल्डियाल,
लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

कार्यालय–ज्ञाप

29 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 136/अधि0/2013–14–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2, की विज्ञप्ति/नियुक्ति सं0–940/XXX(2)/2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में श्री एम0सी0 उप्रेती, आइ0ए0एस0 द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

कार्यालय–ज्ञाप

29 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 137/अधि0/2013–14–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2, की विज्ञप्ति/नियुक्ति सं0–942/XXX(2)/2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में श्री सुमेर चन्द रवि द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2013 के अपराह्न में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

कार्यालय–ज्ञाप

04 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 139/अधि0/2013–14–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2, की विज्ञप्ति/नियुक्ति सं0–941/XXX(2)/2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में डॉ0 (श्रीमती) छाया शुक्ला द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के पूर्वाह्न में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

डॉ0 डी0 पी0 जोशी,
अध्यक्ष।

उत्तराखण्ड, लोक सेवा अधिकरण, देहरादून

विज्ञप्ति

04 मार्च, 2013 ई0

सं0–01/उ0लो0से0अधि0/IV/72/सा0प्रशा0/iv/2012–श्री नितिन शर्मा निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून को दिनांक 04–02–2013 से दिनांक 16–02–2013 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश से पूर्व दिनांक 03–02–2013 रविवार अवकाश तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 17–02–2013 रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

विज्ञप्ति

07 मार्च, 2013 ई0

सं0–02/उ0लो0से0अधि0/IV/72/सा0प्रशा0/iv/2012–श्री नितिन शर्मा निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून को शासनादेश नं0–54–(1)XXXVI(1)/2006-6–एक(2)/06 न्याय अनुभाग–1, देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2006 के अनुसार दिनांक 20–09–2003 से दिनांक 19–09–2005, दिनांक 20–09–2005 से दिनांक 19–09–2007 तथा दिनांक 20–09–2007 से दिनांक 19–09–2009, की तीन ब्लॉक अवधियों हेतु तीन माह (प्रति ब्लॉक हेतु एक माह) का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकार किया गया है।

सियाराम वर्मा,
उपनिबन्धक।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रभार प्रमाण–पत्र

31 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2414/एस0पी0ए0/मु0वि0अ0/व्य0पं0/2013–उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–1, देहरादून के अर्द्ध शा0प0सं0–1369/XXX-1-2013/कार्मिक अनुभाग–1, दिनांक 28 अगस्त, 2013 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के पद का पदभार जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 31–08–2013 के अपरान्ह/पूर्वान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी,

ज्योति नीरज खैरवाल,
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मोचक अधिकारी,

डा0 अहमद इकबाल,
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/615–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 02, 1935 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत, अल्मोड़ा

उपविधि

26 अगस्त, 2013 ई0

संख्या 1970/इक्कीस–8/2012–13–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) (घ) के बाजार वधशालाओं भोजन आदि पर क्षोभकर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यों तथा पेय पदार्थों के तैयार करने या विक्रय तथा दुकानों को नियमित तथा विनियमित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिसका प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति सं0 169/21–10 (92–93) दि0 8 अप्रैल, 1997 में हुआ है, में निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपविधियॉ

1. कोई भी व्यक्ति, फर्म, तथा समिति जनपद के ग्रामीण क्षेत्र मे किसी भी व्यवसाय दुकान, भण्डारण तथा आय कमाने का धन्धा तब तक नही कर सकेगा। जब तक कि उसने जिला परिषद से निर्धारित शुल्क देकर लाईसैन्स प्राप्त न कर लिया हो।
2. खाद्य पदार्थ बनाने हेतु किसी ऐसे धातु के बर्तनों का प्रयोग वर्जित होगा जिससे खाद्य पदार्थ के विकृत होने या दूषित होने की सम्भावना हो या हो या जिन पर रखा गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है।

3. खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ढक कर रखा जावेगा ताकि उस पर धूल, मक्खियां या स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अन्य कीटाणु न बैठ सके।

4. प्रत्येक व्यवसायी को अपनी दुकान पर ऐसे स्थान पर जो सुगमता से दिखाई दे सके, एक साईन बोर्ड लगाना होगा, जिस पर लाईसैन्सधारी का नाम व व्यवसाय का नाम स्पष्ट देवनागरी लिपि मे लिखा होगा।

5. इस उपविधियो के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद या उसके द्वारा अधिकृत किये जाने पर कार्य अधिकारी लाईसैन्स अधिकारी होगें ।

6. अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद को इन उपिविधियों के अधीन् निर्गत किसी लाईसैन्सधारी के द्वारा उपविधियों के उल्लघंन करने पर रदद करने का अधिकार होगा। किन्तु लाईसैन्साधारी रदद किये जाने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला परिषद को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

7. परिषद तथा राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी दुकान पर बिक्री कर हेतु रखी गई सामग्री के निरीक्षण करने के अधिकृत होगें तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को नष्ट कर सकेगें।

क– अध्यक्ष जिला परिषद एवं परिषद का कोई भी सदस्य जिसको अध्यक्ष द्वारा तदर्थ अधिकृत किया गया है।

ख– मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी।

ग– जिले मे कार्यरत मुख्य चिकित्साधिकारी,उपमुख्य चिकित्साधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो।

8. प्रत्येक लाईसैन्स की अवधि 1 वर्ष की होगी। जो पहली अप्रैल से आवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी। लाईसैन्सधारी स्वयं का दायित्व होगा कि यह 30 जून तक लाईसैन्स का नवीनीकरण करवा ले, अन्यथा 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क उक्त तिथि के बाद लाईसैन्स शुल्क के अतिरिक्त किया जावेगा।

9. इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से ठीक पूर्व व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, फर्म अथवा समिति को उपविधियां के प्रभावी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर लाईसैन्स प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

10. इन उपविधियों के अधीन लाईसैन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी :–

सँशोधित उपविधि

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	1997 से शुल्क की वर्तमान दरें	शुल्क की प्रस्तावित दरें
1	हलवाई, ख– चाय बिस्कुट ग–बारबर घ–चर्म की दुकान च–लोहार छ– बढई ज– सब्जी/फल की दुकान झ–घडी साज ट– फोटोस्टूडियो ठ– कृषि उपकरण एवं खाद की दुकान प्रत्येक दुकान पर पृथक पृथक	50.00	100.00
2	साईकिल मरम्मत	50.00	100.00
3	बूचड मांस विकेता, (मछली,मुर्गी,बकरा) प्रत्येक दुकान पर पृथक पृथक	75.00	300.00
4	केवल मुर्गिया जिन्दा बेचने पर – नया व्यवसाय	-	200.00
5	टेलरिंग व्यवसाय दो मशीनो तक	75.00	150.00
6	टेलरिग व्यवसाय तीन मशीनो तक	150.00	300.00

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	1997 से शुल्क की वर्तमान दरें	शुल्क की प्रस्तावित दरें
7	टेलरिंग जिसमे तीन मशीनो से अधिक		500.00
8	प्लास्टीक, एवं चमडे के जूते की दुकान	100.00	200.00
9	फुटकर गल्ला विक्रेता – आटा,चावल,दाल आदि	100.00	200.00
10	बर्तनो की दुकान	100.00	200.00
11	मेडिकल स्टोर छोटी दुकान	100.00	200.00
12	मेडिकल स्टोर बडी दुकान	200.00	400.00
13	हकीम वैद्य, मडिकल प्रेक्टिसनर	200.00	400.00
14	सोने चांदी के आभूषण	100.00	500.00
15	मोटर मकैनिक	100.00	200.00
16	मिटटी तेल विक्रेता (पूर्व में डीजल भी अंकित था जिसे निरस्त किया गया)	100.00	200.00
17	रंगपैन्ट, चूना	100.00	200.00
18	सूती ऊनी एवं रेशम के बने कपड़े की दुकान (गांधी आश्रम एवं खादी बोर्ड को छोडकर)	150.00	300.00
19	सामान्य मिश्रित की दुकान	150.00	500.00
20	पुस्तक कापी की दुकान	150.00	300.00
21	कपडे की जनरल दुकान रेडीमेड कपडा	150.00	300.00
22	बिजली के सामान की दुकान एवं बिजली उपकरणो की मरम्मत सहित	200.00	400.00
23	बिस्कुट फैक्टरी	200.00	400.00
24	ईमारती सामान जैसे बजरी,ईट,सैनटरी,सटरिंग का सामान	200.00	1000.00
25	टेलीविजन विक्रेता/रेडिमेड विक्रेता/मरम्मत फ्रीज आदि	200.00	600.00
26	तांबा पीतल आदि धातुओ से निर्मित सामान	200.00	400.00
27	साबुन फैक्ट्री	250.00	400.00
28	फोटोस्टेट	50.00	300.00
29	आटा , तेल,धान चक्की(10 हर्टस पावर तक)	250.00	500.00
30	आटा , तेल,धान चक्की(10 हर्टस पावर ज्यादा)	500.00	1000.00
31	सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान	100.00	300.00
32	फेरी व्यवसाय, कपडा उन बर्तन आदि	500.00	1000.00
33	गल्ले के थोक व्यापारी एवं आडती	500.00	1000.00
34	डिश ऐंन्टिना केबिल आपरेटर	500.00	1000.00
35	आरा मशीन	500.00	1000.00
36	प्रिटिंग प्रेस	500.00	1000.00
37	जूस फैक्ट्री	500.00	600.00
38	थोक विक्रेता कमीशन ऐजेन्ट	300.00	600.00
39	सीमेन्ट की दुकान	1000.00	1500.00
40	लोहे व सीमेन्ट की सम्मिलित दुकान	1000.00	1200.00
41	ट्रान्सपोर्ट का व्यवसाय	1500.00	1700.00
42	ब्रास फैक्ट्री	2000.00	2200.00
43	स्टोन केशर	2000.00	2200.00
44	इलैक्ट्रोनिंग गुडस फैक्ट्री	5000.00	7000.00
45	पैट्रोल पम्प,डीजल	5000.00	7000.00
46	ड्रेग फैक्ट्री, फारमेर्सी		

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	1997 से शुल्क की वर्तमान दरें	शुल्क की प्रस्तावित दरें
47	लीसा फैक्ट्री, वानिश उद्योग कोटा मिलने पर	5000.00	7000.00
48	लीसा फैक्ट्री, विरोजा	10000.00	12000.00
49	होटल व्यवसाय जहां केवल भोजन व्यवस्था हो	100.00	300.00
50	होटल व्यवसाय जहां भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो पांच कक्षो से कम	500.00	700.00
51	होटल व्यवसाय जहां भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो पांच कक्षो से नौ कक्षो तक	1000.00	2000.00
52	होटल व्यवसाय जहां भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो दस से पन्द्रह कक्ष तक	1000.00	3000.00
53	रिर्सोट बडे होटल	10000.00	15000.00
54	ईमारती लकडी के थोक व्यापारी एवं फर्नीचर दुकान	1000.00	2000.00
55	सीमेन्ट ब्लाक्स व्यवसाय	1000.00	1500.00
56	खडिया पत्थर निकालने पर	10000.00	15000.00
57	शराब की दुकान देशी व विदेशी प्रत्येक व्यवसाय पर	20000.00	25000.00
58	दुग्ध डेरी	नया व्यवसाय	500.00
59	कटटा व्यवसाय		500.00
60	टैन्ट हाउस एवं कैटरिंग आदि		500.00
61	बैण्ड बाजा	नया व्यवसाय	500.00
62	डीजे साउण्ड, बिस्तर,जनरेटर किराये पर देने वाली दुकान		600.00
63	माईक लाउडस्पीकर आदि साउण्ड सर्विस की दुकान जो किराये पर देता है		500.00
64	ईट भट्टा		500.00
65	ग्रील कटटा		500.00
66	एस0टी0डी0		200.00
67	नर्सिंग होम/प्राईवेट अस्पताल		5000.00
68	बारातघर		500.00
69	मोटर साईकिल, स्कूटर, आदि दो पहिया वाहनो की मरम्मत एवं सर्विस की दुकान		400.00
70	गैस, स्टोप, व सिलाई मशीन आदि की मरम्मत		300.00
71	टायर पंचर, टायर हवा चैकिंग की दुकान		300.00
72	कार शोरूम		5000.00
73	व्यटी पार्लर	–	500.00
74	पाईप सार्किट यूनियन लघु उद्योग		1000.00
75	मोबाईल टावर		1000.00
76	पालैट्री फार्म		500.00
77	कम्प्यूटर जॉब वर्क,		500.00
78	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर का सामान बिक्री/मरम्मत की दुकान		500.00
79	स्पोटर्स का सामान		500.00
80	गैस्ट हाउस,लौज		1000.00
81	भूमि अथवा नदी नालो के किनारे से खनिज वस्तु निकालने एवं बेचने पर		1000.00
82	कुमायूँ मण्डल विकास निगम के प्रति विश्रामालय पर		2000.00
83	होटल व्यवसाय जहां भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो पन्द्रह कक्षो से बीस कक्ष तक		7000.00

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	1997 से शुल्क की वर्तमान दरें	शुल्क की प्रस्तावित दरें
84	मदिरा बार		1000.00
85	पेन्टर कार्य		200.00
86	पेन्टिंग कार्य		500.00
87	कार वर्क शॉप		500.00
88	शैक्षिक कोचिंग सेन्टर		500.00
89	मोबाईल विक्री एवं मरम्मत कार्य		500.00
90	फॉस्ट फूड सेन्टर		200.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे जिला पंचायत अल्मोडा यह आदेश देता है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन करने पर दोष सिद्व होने पर 1000/--रू0 तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्व होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लघंन जारी रहा है 50/– रू0 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है। और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उपविधि

26 अगस्त, 2013 ई0

संख्या 1971/इक्कीस–8/2012–13–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा (239) (2) (घ) के अधीन जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ठेका लेने वाले ठेकेदारों पर जिला पंचायत ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क हेतु बनाये गये उपनियमों में पूर्व में शासकीय गजट में प्रकाशित हुए थे, में निम्न संशोधन किये जाते हैं। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

उपविधि

1. **कोई भी व्यक्ति, फर्म तथा समिति जनपद अल्मोड़ा में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसने जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।**
2. **इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उसके द्वारा अधिकृत किये जाने पर कार्य अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।**
3. **अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अल्मोड़ा को इन उपविधियों के अधीन निर्गत किसी भी लाइसेन्सधारी के द्वारा उपविधियों का उल्लंघन करने पर रद्द करने का अधिकार होगा। किन्तु लाइसेन्स धारी लाइसेन्स रद्द किये जाने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।**
4. **प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 01 वर्ष की होगी। जो 01 अप्रैल से आवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी।**
5. **इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार हॉगी।**

संशोधित उपविधि

क्र0सं0	ठेकेदार की श्रेणी	लाइसेन्स की वर्तमान दर	लाइसेन्स की संशोधित दर
1.	अ	500.00	1000.00
2.	ब	200.00	500.00
3.	प्रपत्र की दर	10.00	50.00

ठेका लाइसेन्स उपविधि

26 अगस्त, 2013 ई0

संख्या 1972/इक्कीस–8/2012–13–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) (घ) के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली मदिरा व्यवसाय ठेके में टैण्डर/ठेका में भाग लेने वाले ठेकेदारों/व्यक्तियों हेतु जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा मदिरा व्यवसाय ठेकेदारी लाइसेन्स उपविधियां बनाई गई हैं, जो दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र के अंक दि0 27 दिसम्बर, 2011 एवं दैनिक उत्तर उजाला समाचार पत्र के अंक दि0 26 दिसम्बर, 2011 में प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ तथा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। परन्तु निर्धारित समय तक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये, स्पष्ट है कि आम जनता को यह स्वीकार है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत शासकीय गजट में प्रकाशित की जा रही है।

उपविधि

1. कोई भी व्यक्ति, फर्म तथा समिति जनपद अल्मोड़ा में देशी/विदेशी मदिरा का व्यवसाय करने हेतु निलामी में तब तक भाग नहीं ले सकेगा, जब तक कि उसने जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।
2. इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उसके द्वारा अधिकृत किये जाने पर कार्य अधिकारी, कर अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।
3. प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी। जो 01 अप्रैल से आवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी।
4. यह ठेकेदारी मदिरा व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर लागू व्यवसाय लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त होगा।
5. इन उपविधियों के अधीन ठेकेदारी लाइसेन्स की दरें निम्न प्रकार होंगी:–

क्र0सं0	लाइसेन्स की दर	अभ्युक्ति
1.	5000.00	प्रति मदिरा की दुकान में भाग लेने वाले ठेकेदार के लिये मान्य

अनुमोदित,
ह0 (अस्पष्ट)
आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

शेर सिंह परगाई,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/615–भाग 3–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।